2 क्या हमारा FPO ऋण के लिए योग्य है?

-महेश अलगप्पा

हम ने अपने पिछले मापांक / अंश में इस विषय पर चर्चा किया था की ऋण लेना है या नहीं,इस की आवश्यकता पर,आप का FPO मूल्यांकन करे या नहीं। 1. पिछले अंश को पढ़ के आप ऋण मांगने के बारे में समझ गए होंगे और ऋण लेने के विवरण के बारे में भी जान गए होंगे , जैसे ऋण के लिए कब जाना है, कि इसे समय पर चुकाया जाना चाहिए, यह लागत / ब्याज पर मिलता है और यह अनुदान नहीं है।

आइए, अब पता लगाते हैं कि हम उस ऋण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं !! कई पात्रता मानदंड हैं जिन्हें पहले पूरा किया जाना चाहिए जिसके बाद ही बैंक या ऋणदाता ऋण को मंजूर करेंगे

लर्निंग अलर्ट

FPO को ऋण प्राप्थ करने के लिए योग्य होना चाहिए। सिर्फ आवेदन करने से बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त नहीं किया जा सकता !!...

आप ये पूछ सकते हैं की आखिर ये पात्रता मानदंड क्या है ? क्या वे बहुत जटिल हैं?

आइए इन पर एक नजर डालते हैं...

GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH

पहला और एक महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड है **"किसान उत्पादक कंपनियों/संगठनों को कानूनी प्रावधानों यानी सहकारी समितियों या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है ।"** इसलिए, पात्र होने के लिए FPO को एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए / अनिवार्य है।

यह ठीक है , हम एक पंजीकृत FPO हैं और हमारे पास पंजीकरण प्रमाणपत्र भी है!

बढ़िय, यह एक अच्छी शुरुवाद है ,पहला कदम ठीक है !!

जब FPO कानूनी रूप से पंजीकृत निकाय है , तो अगली आवश्यकता है **" FPO सदस्य और हितधारक केवल किसान होने चाहिए और कंपनी का स्वामित्व उनके पास ही होना चाहिए"**। इसके अतिरिक्त, चूंकि व्यक्तिगत उत्पादक और उत्पादक समूह सदस्य बन सकते हैं, यदि FPO संघ ऋण के लिए आवेदन कर रहा है , तो पंजीकृत FPO का स्वामित्व केवल किसानों के पास ही होना चाहिए।

इसे साबित करने के लिए, हमें सदस्यों के रजिस्टर के रूप में सदस्यों की सूची, उनके विवरण जैसे पता, भूमि जोत, आधार कार्ड की आवश्यकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए)/ आर्टिकल्स   ऑफ एसोसिएशन (एओए) , जहां यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि FPO ऋण आवेदन कर सकता है और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकता है, को भी जुटाना और रखना जरूरी है।

जब भी उनकी आवश्यकता हो, ये दस्तावेज़ बैंक/ऋणदाता संस्थान द्वारा सत्यापन के लिए तैयार होने चाहिए। साथ ही, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से FPO की ओर से आवेदन करने और ऋण लेने के लिए, BoD को अधिकृत करते हेतु   सामान्य निकाय द्वारा पारित एक संकल्प भी तत्काल आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।

1 आप चाहें तो दिए गए लिंक पर क्लिक(click) करके इसे पढ़ सकते हैं: https://apmas.org/pdf/fpofunds.pdf

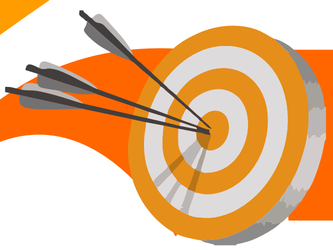

लर्निंग अलर्ट

FPO को सभी दस्तावेज एवं रिकॉर्ड, पंजीकरण प्रमाण पत्र, सदस्यों का विवरणी, बैंक और वित्तीय संस्थानों के परीक्षण हेतु अद्यतन रखा जाना चाहि।

एक अन्य महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड है " FPO को पिछले वर्षों में कोई संचित घाटा नहीं हो।c जिसका अर्थ है की FPO मुनाफा कमाने वाला उद्यम और घाटे में चलने वाला उद्यम नहीं है।

कुछ ऋणदाता न्यूनतम 500 की सदस्यता या 2 वर्ष का अनुभव चाहते है। तो कुछ औरों के लिए एक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर्याप्त होता है।

कुछ अन्य चाहते हैं कि न्यूनतम 33% सदसयता छोटे किसानों (SF) / सीमांत किसानों (MF) से हों

ये सब अतिरिक्त पात्रता आवश्यकताएं हैं जो व्यक्तिगत उधारदाताओं और बैंकों के लिए विशिष्ट हैं।

हालांकि, पांच शर्तें

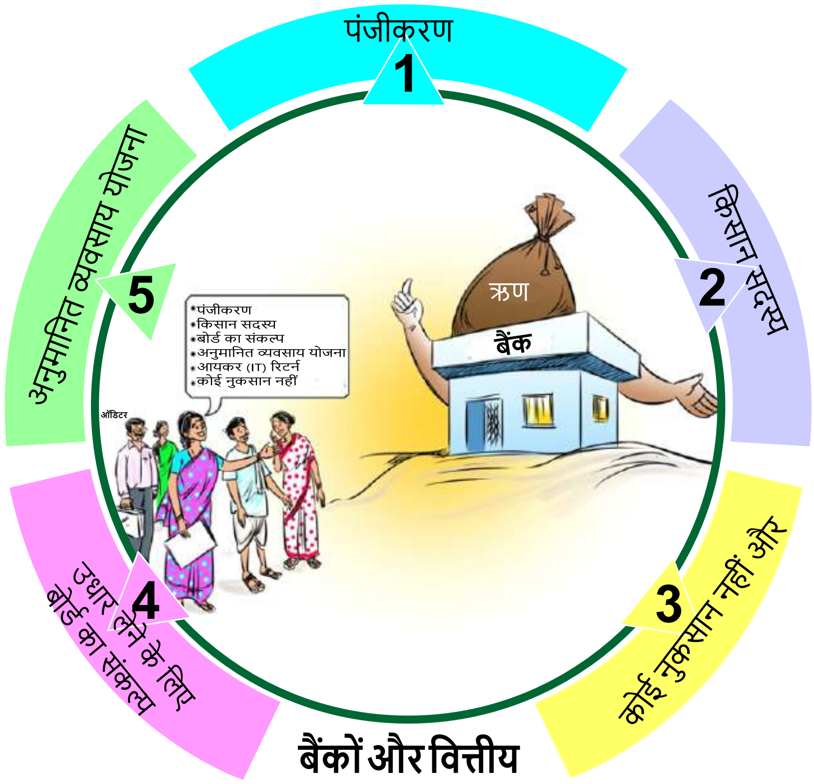

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में आम हैं।

एक और शर्त जो उधारदाता देखते है , वह है आयकर रिटर्न (IT Returns) दाखिल हुवा है या नहीं। पंजीकरण और कर भुगतान की छूट के बावजूद सभी FPO को अनिवार्य रूप से अपना आईटी रिटर्न दाखिल करना चाहिए, यदि उन्हें कानून के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है। फाइलिंग का प्रमाण बैंक / एनबीएफसी को मांगने पर दिखाया जाना चाहिए।

यह एक अच्छा अभ्यास होगा कि ऑडिटर की नियुक्ति करते समय, हमारी उनके साथ एक समझौता हो कि, जब भी आवश्यक हो न केवल ऑडिटिंग करेंगे परन्तु रिटर्न भरना, प्रमाणन और कानूनी सलाह भी देंगे।

FPO की एक सत्य कथा

हमें आईटी रिटर्न दाखिल करना चाहिए था !!!

कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत मदनपल्ले मंडल, अन्नमयया जिला, की मर्यादरामन्नपटनम एफपीसी लिमिटेड ने पिछले 4 वित्त वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2019-20 में 35.28 लाख रुपये का कारोबार किया था। 2020-21 में 104.53 लाख, 2021-22 में 86.50 लाख और रु। 2022-23 में 191.71 लाख | स्थापना के बाद से यह मुनाफे में है और सभी 4 वर्षों के लिए ऑडिटेड वित्तीय रिटर्न भी हमारे पास रखा हुवा है। लेकिन FPO ने आईटी रिटर्न नहीं दाखिल किया क्योंकि उसे लगा कि FPO में कर छूट का प्रावधान है, और इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है!

दिसंबर 2022 में, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक ऋण की मांग करते हुए, FPC ने मदनपल्ले में बैंक की उस शाखा से संपर्क किया, जहाँ वह अपनी स्थापना के बाद से व्यवसाय खातों का रखरखाव कर रही थी।

शाखा प्रबंधक ने व्यवसाय स्थल का निरीक्षण किया, ऑडिट स्टेटमेंट, बीओडी सिबिल रेटिंग आदि का सत्यापन किया। उन्होंने 20 लाख रुपये की सीसीएल स्वीकृत करने में रुचि व्यक्त की। लेकिन, एफपीसी ने आईटी रिटर्न दाखिल करने के मानदंड को पूरा नहीं किया। इसलिए, ऋण प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया!

इसलिए, एफपीसी ने ऋण प्रस्ताव खो दिया। इस बीच, एफपीसी वित्त के लिए संघर्ष कर रहा है। बड़ी क्षमता और योजनाएं होने के बावजूद, कानूनी अनुपालन के संबंध में मर्यादरामन्नपटनम FPO के लिए यह बड़ी सीख है...

परियोजना प्रबंधक, मर्यादरामन्नपटनम FPO, मदनपल्ली

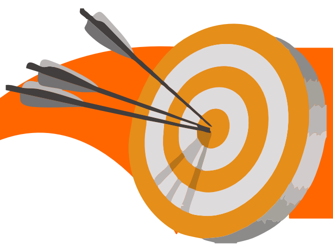

लर्निंग अलर्ट

FPO को अपना आईटी रिटर्न अवश्य दाखिल करना चाहिए। तीनों स्थितियों में- लाभ कमाते हुवे , घाटा होने पर या कोई व्यवसाय न करते हुवे । बैंक या वित्तीय संस्ताओं से ऋण के लिए आवेदन करते समय फाइलिंग की प्रतियां आवश्यक होंगी

तो अब जब पात्रता मानदंड स्पष्ट हैं, तो अगला प्रश्न होगा की अब क्या किया जाना है या अब क्या करें ? आमतौर पर बैंक या एनबीएफसी से वित्त/ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया एक आवेदन पत्र भरने के साथ शुरू होती है। यह आवेदन पत्र बैंक या संस्थान के लिए विशिष्ट होगा। लेकिन इन सभी फॉर्मों में एफपीओ की बुनियादी जानकारी मांगी जाएगी।

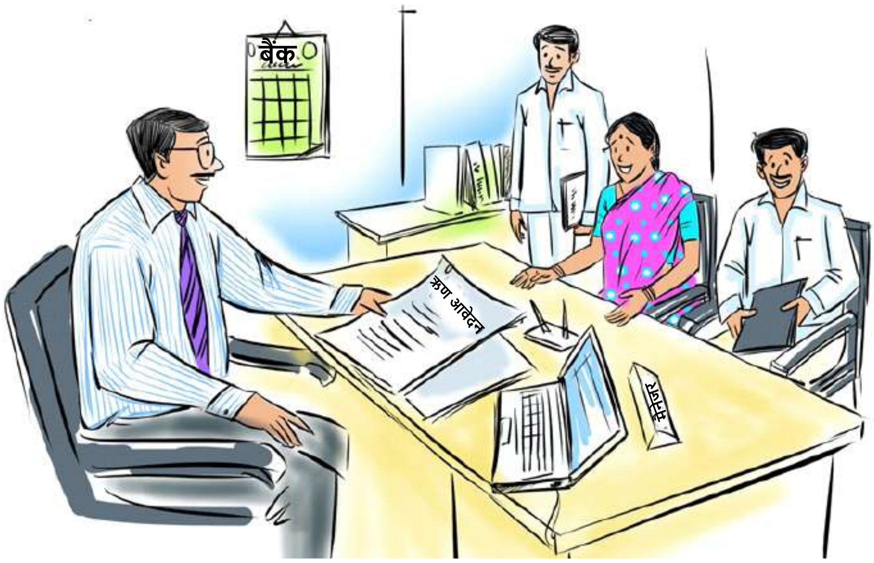

ऋण आवेदन प्रारूप का एक नमूना सलंग्न है:

आमतौर पर निम्न विवरण मांगे जाते है

1. FPO का नाम:
2. पता : गांव, मंडल, जिला
3. कानूनी स्थिति (अधिनियम जिसके तहत पंजीकृत):
4. FPO का परिचालन क्षेत्र: उगाई जाने वाली फसलें और पिछले तीन वर्षों के दौरान वार उत्पादन (मौसम ढंग)
5. शेयरधारकों की संख्या- एसएफ/एमएफ, एससी.एसटी, का ब्रेकअप महिलाएं आदि... और इसी तरह

आवेदन पात्र में यह भी पूछाजायेगा कि किस उद्देश्य से और कितना ऋण मांगा जा रहा है?

आवेदन पत्र आमतौर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होते है।

भरे हुए आवेदन सभी आवश्यक विवरणों के साथ बैंक में जमा किया जाना चाहिए। MoA, AoA या उपनियम, BoDs आदि के आधार कार्ड की प्रतियां आदि

FPO ने बैंक में अपना खाता खोलते समय निम्नलिखित में से कुछ दस्तावेज जमा किए होंगे। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की एक त्वरित जांच से यह सुनिश्चित करें , ताकि बैंक और FPO के बीच "आने-जाने" के पत्राचार में समय बर्बाद न हो !!

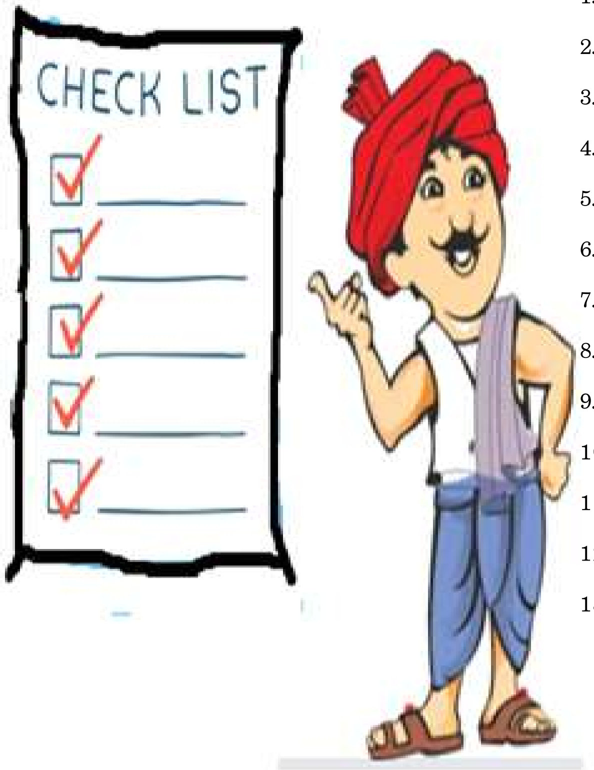

1. कंपनी का पैन कार्ड
2. नवीनतम छह महीने का बैंक विवरण
3. एमओए/एओए
4. नवीनतम 2 वर्षों की बैलेंस शीट / पी एल
5. न्यूनतम एक वर्ष का आईटी रिटर्न दाखिल प्रमाण
6. निगमन का प्रमाण पत्र
7. कंपनी के लेटर हेड पर शेयर होल्डिंग पैटर्न (नवीनतम)।
8. उधार लेने के लिए लेटर हेड पर बोर्ड के संकल्प की प्रति
9. डीआईएन के साथ निदेशकों की सूची
10. निदेशकों के पैन कार्ड की प्रमाणित प्रतियां
11. आधार कार्ड की सत्यापित प्रतियां
12. निदेशकों के बैंक खातों का पहला पृष्ठ (व्यक्ति)।
13. निदेशकों के पासपोर्ट आकार के फोटो (तस्वीरें की संख्या बैंकों पर निर्भर होंगी)

लर्निंग अलर्ट

ऋण की मांग के आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची की जाँच की जानी चाहिए और ऋण प्रसंस्करण में देरी से बचने हेतु इन्हे तैयार रखा जाना चाहिए

बैंक / एनबीएफसी को दस्तावेज जमा करने के बाद, वे यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करेंगे कि ऋण दिया जा सकता है या नहीं। मूल मानदंड जिन पर ऋणों का मूल्यांकन किया जाता है:

- ❖ व्यापार की तकनीकी व्यवहार्यता
- ❖ व्यापार की आर्थिक व्यवहार्यता
- ❖ प्रस्ताव की बैंकेबिलिटी।

हम आगे प्रेषित होने वाले मॉड्यूल में इनमें से प्रत्येक पर गहराई से विचार करेंगे।

अगले मॉड्यूल में हम FPO के आवेदन के मूल्यांकन के लिए बैंकों या एनबीएफसी द्वारा अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे...

यदि आप यहां चर्चा की गई किसी भी चीज़ के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें..

ऋण आवेदन प्रारूप

1	FPO का नाम	
2	FPO का पता	ग्राम मंडल जिला प्रदेश PIN
3	कानूनी स्थिति (अधिनियम जिसके तहत पंजीकृत)	
4	FPO का परिचालन क्षेत्र	
5	पिछले तीन मौसमों के दौरान उगाई गई फसलें और फसलवार उत्पादन	खरीफ - 1. 2. 3. 4. रबी - 1. 2. 3. 4. ज़ैद - 1. 2. 3. 4.
6	हितधारकों की संख्या (श्रेणीवार-एसएफ, एमएफ, महिला, एससी, एसटी, आदि)	कुल जिनमें से एसएफ / एमएफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति औरत / महिलाएं
7	FPO की सेवाओं का लाभ उठाने वाले गैर-सदस्यों की संख्या	
8.	बीओडी की संख्या (संरचना) - नाम	
9.	एक वर्ष में बोर्ड की बैठकों की संख्या (विवरण)	
10	CEO का विवरण	
11	निर्माता संगठन या प्रवर्तक संस्थान का नाम - पीओपीआई, (POPI) यदि कोई हो	
12	POPI द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता	
13	अनुपालन	
14	आधारभूत संरचना की उपलभ्धता (Infrastructure)	
15	FPO द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रमाणपत्रों/लाइसेंसों का विवरण	
16	FPO की हिस्सेदारी पूँजी	
17	ऋण का प्रकार (मीयादी ऋण/नकद ऋण)	
18	अनुरोधित ऋण का उद्देश्य	
19	मांगी गई ऋण राशि	
20	वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियाँ (टर्नओवर /कारोबार सहित)- विस्तार से	
21	व्यवसाय योजना - संक्षेप में	
22	NABARD या SFACसे ऋण कवरेज प्रप्थ है	
23	बैकवर्ड लिंकेज	
24	फॉरवर्ड लिंकेज (मार्केटिंग टाई अप, आदि)	
25	वित्तीय विवरण (पिछले तीन वर्षों के लिए, यदि तीन वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है; अस्तित्व के सभी वर्षों के लिए)	
26	अगले तीन वर्षों में वित्तीय विवरण का प्रक्षेपण	
27	क्या पूर्व में कोई ऋण लिया है, यदि हाँ, तो विवरण (किस कार्यकलाप के लिए एवं वर्त्तमान स्थिति)	
28	पेशकश करने के लिए संपार्श्विक	
29	प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज - एमओए, एओए, उपनियम, आदि	

किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण/टिप्पणी के लिए
fpofinance@apmas.org पर लिखें

apmas
11 & 12, HIG, HUDA Colony, Tanesha Nagar, Near Dream Valley,
Manikonda, Hyderabad - 500089, Telangana.
Phone: +91 - 8413 - 403118
Website: http://apmas.org